न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र सं0 56/2023

केनरा बैंक, शाखा कार्यालय दौसा– II दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी विनोद कुमार
...प्रार्थी/प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नि श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद कुमार शर्मा,
पता–क्यू 31, हीरो शोरूम के पीछे, सोमनाथ कॉलोनी, दौसा राजस्थान–303303

.... (ऋणी/जमानतदार)

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित : श्री राजकुमार दीक्षित, अधिकृत प्रतिनिधि।

आदेश

दिनांक: 28.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा दौसा ने अप्रार्थी ऋणी /जमानतदार श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नि श्री हनुमान प्रसाद शर्मा व श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद कुमार शर्मा, निवासी सोमनाथ नगर दौसा जिला दौसा राजस्थान को 4,50,000/–(रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी व सहऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा केनरा बैंक, शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने व समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस के बावजूद ऋण

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र सं0 56/2023

राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई रिहायशी संपत्ति आबादी भूमि ग्राम गणेशपुरा, ग्राम पंचायत सूरजपुरा, तहसील एवं जिला दौसा राज0 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 275 वर्गगज है, जो कि श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नि श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के नाम से है जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूर्वः अनिता शर्मा पत्नि पवन शर्मा का मकान, पश्चिम : पडत भूमि ग्राम पंचायत, उत्तरः ओम प्रकाश शर्मा का मकान, दक्षिणः रास्ता है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा